5 रु. Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

# न्यायालय श्रीमान म.प्र. राजस्व मंडल महोदय ग्वालियर (म0प्र0)

निग-1438-I-16

प्रकरण क्र0 /2016 पुनरीक्षण

1—अनिल उर्फ बब्लू शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल शर्मा
2—मुकेश शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल शर्मा
निवासीगण ग्राम टोरिया हाल कैंट गुना (म.प्र.)
3—दीपक शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल शर्मा
निवासी ग्राम टोरिया हाल जबलपुर (म.प्र.)

...........पुनरीक्षणकर्तागण

श्री सुरेन्द्र सिंह ... द्वारा आज दि. 7-5-16 को प्रस्तुत
7-5-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1—रामकृष्ण शर्मा पुत्र श्री रघुनाथ शर्मा निवासी ग्राम टोरिया हाल कैंट गुना (म.प्र.)
2—मध्यप्रदेश राज्य ............प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

<u>पुनरीक्षण याचना अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959</u>

न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग ग्वालियर कैंप गुना के प्रकरण क्र0 275/अपील/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2016 से व्यथित होकर पुनरीक्षण याचना।

7-5-16

महोदय,

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1438–एक/16 [अनिल/राजकृष्ण] जिला गुना

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 12–5–2016 | आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 29–4–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गा । अपर आयुक्त द्वारा उपरोक्त आदेश से आवेदक का म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 52 के अंतर्गत स्थगन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया है। स्थगन पर प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए एवं सुविधा संतुलन पर विचार कर निर्णय लिया जाता है । अतः अपर आयुक्त द्वारा सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में नहीं होने से स्थगन आवेदन पत्र निरस्त करने में प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।<br><br>(मनोज गोयल)<br>अध्यक्ष | |